

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र०, अनुभाग-4डी(2), लखनऊ।

पत्रांक: 4डी(2)/20/

लखनऊ / दिनांक / 01 -06-20

// कार्यालय ज्ञाप //

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-10396 आफ 2019, नमित कुमार पाण्डेय व 8 अन्य बनाम उ०प्र०राज्य एवं 10 अन्य (सम्बद्ध अन्य रिट याचिका) के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 13.05.20 यथा “**Considering subsequent development due to COVID-19 Pandemic and the importance of the Lab Technicians for testing, this Court is of the view that State be permitted to fill up remaining 729 posts of the Lab Technicians. However, their appointment shall also remain subject to the final outcome of the writ petition**” के अनुपालन में तथा उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-197/पांच-7-2020 दिनांक 14.05.20 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की संस्तुति विषयक पत्र संख्या-433/गोपन अनुभाग/1/30/2016/2019 दिनांक 09.07.2019 द्वारा चयनित किये गये 726 (उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा तीन अभ्यर्थियों को अभ्यर्थन समाप्त कर दिये जाने के फलस्वरूप) प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों के नियुक्ति आदेश महानिदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4डी(2)/20/634(14) दिनांक 23.05.20 द्वारा निर्गत किये गये थे।

महानिदेशालय के उपांकित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 23.05.20 में कतिपय नव-नियुक्त-प्रयोगशाला-प्राविधिज्ञ की जन्मतिथियों में टंकण त्रुटि होने के फलस्वरूप उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उ०प्र०, लखनऊ के द्वारा अपने पत्र संख्या-433/गोपन अनुभाग-1/30/2016/2019 दिनांक 09 जुलाई, 2019 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी ज्येष्ठता में अंकित जन्मतिथि के अनुसार निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

Sl No	REG	ROLL	Name	Fname	DOB	GEN
621	52400175563	00002552	RAKESH KUMAR	RAM LAUTAN	18-03-1988	Male
717	52400175819	00004946	KM GARIMA MISHRA	ANANT MOHAN MISHRA	18-10-1993	Female

महानिदेशालय के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 23.05.20 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदेश में व्याप्त COVID-19 Pandemic के सक्रमण की रोकथाम हेतु विभाग द्वारा की जा रही उपचारात्मक एवं निरोधात्मक कार्यवाहियों के सम्पादन हेतु समस्त नव नियुक्ति प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यालय ज्ञाप विभाग की अधिकृत वेबसाइट में अपलोड होने के पश्चात् तत्काल अपनी-अपनी योगदान आख्या तैनाती स्थान में देना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपका अभ्यर्थन समाप्त करते हुए मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सूचित कर दिया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त समस्त नव-नियुक्त-प्रयोगशाला-प्राविधिज्ञों के मूल अभिलेखों के सत्यापन हेतु उन्हें अपने-अपने मूल अभिलेखों एवं जाति प्रमाणपत्रों की original size colour scan in pdf file सम्बन्धित तैनाती स्थान के नियंत्रक-अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी, ताकि उक्त अभिलेखों को आन-लाइन सत्यापन कराया जा सकें, अभिलेखों के सत्यापन एवं पुलिस-सत्यापन के उपरान्त महानिदेशालय से नियुक्ति आदेशों के पुष्टि ई-मेल के माध्यम से कराये जाने के उपरान्त ही उनका वेतन आदि आहरित होगा।

(मधु सक्सेना)
निदेशक, पैरामेडिकल

पत्राक:4डी(2)/20/655(10)

तददिनांक /

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ई-मेल के माध्यम से प्रेषित:-

- 1- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 2- श्री नीरज त्रिपाठी, अपर महा अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 3- सचिव, उ0प्र0 अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 4- सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0, उ0प्र0शासन, चिकित्सा अनुभाग-7
- 5- निदेशक, नियोजन एवं बजट, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से कि उक्त सूची को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अधिकृत वेबसाइट में आज ही अपलोड करवाने का कष्ट करें।
- 6- समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला पु0/म0/संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।
- 7- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 8- निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक, एस0पी0एम0 सिविल चिकित्सालय, लखनऊ/ बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ/यू0एच0एम0 चिकित्सालय, कानपुर नगर/मानसिक रोग चिकित्सालय बरेली/ वाराणसी/आगरा।
- 9- सम्बन्धित अभ्यर्थीगण।
- 10- गार्ड फाइल।

(मधु सक्सेना)
निदेशक, पैरामेडिकल